

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

चारभुजा जी स्थान देह जरिये पुजारी महेश कुमार बैरागी पिता सियाराम बैरागी निवासी मुंशीपुरा
बनाम

श्योजीराम अहीर पिता उंकार अहीर निवासी बारला पोलिया वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 93/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये |
|-------------|--|---|
| 08-04-24 | <p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बारला पोलिया प.ह. धुवाला आराजी सं. 1057/794, 988/793, 989/794, 992/858, 993/858, कुल कित्ता 05 रकबा 1.4085 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम बारला पोलिया प.ह. धुवाला आराजी सं. 1057/794, 988/793, 989/794, 992/858, 993/858, कुल कित्ता 05 रकबा 1.4085 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराड़िया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 08/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p> | |

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/93/2024

दिनांक- 08/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय— प्र.सं. 93 / 2024 अनवान चारभुजा जी स्थान देह जरिये पुजारी महेश कुमार बैरागी पिता सियाराम बैरागी निवासी मुंशीपुरा वनाम श्योजीराम अहीर पिता उंकार अहीर निवासी बारला पोलिया, बंशीलाल अहीर पिता उंकार अहीर निवासी बारला पोलिया, मोहनलाल पिता उदा गुर्जर निवासी बारला पोलिया, सेवाराम पिता उदा गुर्जर निवासी बारला पोलिया, मंगोहर सिंह पिता सम्पत सिंह राजपूत निवासी बारला पोलिया, खानसिंह पिता रघुराज इनह राजपूत निवासी बारला पोलिया, कजोड़ पिता रामदेव मीणा निवासी बारला पोलिया, दिलीप कुमार पिता रामस्वरूप ब्राह्मण निवासी अमरवासी, कन्हैयालाल पिता ——— निवासी अमरवासी, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम बारला पोलिया प.ह. धुंवाला आराजी सं. 1057/794, 988/793, 989/794, 992/858, 993/858, कुल कित्ता 05 रकबा 1.4085 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मोंके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं । पालना रिपोर्ट 15 योजन में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर, जिला शाहपुरा